पत्र संख्या–11/आ०नी०–II–01/2011 सा०प्र०...09...

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

जय शंकर प्रसाद
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।

पटना–15, दिनांक–...03.01.22...

विषय :– **विभागीय स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठक में भाग लेने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या–3586 दिनांक–12.03.2021 द्वारा विभिन्न विभागों की स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया था।

वर्तमान में कतिपय पदाधिकारियों की सेवानिवृति/प्रोन्नति अथवा अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उक्त मनोनयन प्रभावित हो गया है। अतः पूर्व के एतद् संबंधी आदेशों को संशोधित करते हुए पदाधिकारियों का मनोनयन निम्नरूपेण किया जाता है :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	प्रतिस्थानी पदाधिकारी का नाम जो स्तम्भ–2 में वर्णित पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में भाग लेंगे।	आवंटित विभाग
1.	श्री मिनेन्द्र कुमार, सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना। मोबाईल नं०–9430422851	श्रीमती ऋचा कमल, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना। मोबाईल नं०–7070523115	1. गृह विभाग। 2. सामान्य प्रशासन विभाग। 3. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। 4. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग। 5. आपदा प्रबंधन विभाग। 6. विधि विभाग। 7. परिवहन विभाग।
2.	श्री रमेश कुमार, संयुक्त सचिव, योजना पर्षद, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना। मोबाईल नं०–8809503389	श्री प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना। मोबाईल नं०–9430456379	1. राज्यपाल सचिवालय। 2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। 3. संसदीय कार्य विभाग। 4. खान एवं भूतत्व विभाग। 5. वित्त विभाग। 6. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। 7. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, विभाग।
3.	श्री गौतम पासवान, संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना। मोबाईल नं०–9431863495	श्री शैलेन्द्र नाथ, उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना। मोबाईल नं०–7739650879	1. ग्रामीण कार्य विभाग। 2. जल संसाधन विभाग। 3. लघु जल संसाधन विभाग। 4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। 5. भवन निर्माण विभाग। 6. पथ निर्माण विभाग।
4.	श्री सुशील कुमार, निदेशक–सह–अपर सचिव, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना। मोबाईल नं०–9430956421	श्री चित्रगुप्त कुमार, उप सचिव, खांन एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना। मोबाईल नं०–9431217394	1. योजना एवं विकास विभाग। 2. ग्रामीण विकास विभाग। 3. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग। 4. सूचना प्रावैधिकी विभाग। 5. उद्योग विभाग। 6. नगर विकास एवं आवास विभाग। 7. पंचायती राज विभाग।

5.	श्री प्रमोद कुमार, सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना। मोबाईल नं०–9473030930	श्री अनिल कुमार, उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना। मोबाईल नं०–9955986014	1. पर्यटन विभाग। 2. गन्ना उद्योग विभाग। 3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। 4. सहकारिता विभाग। 5. कृषि विभाग। 6. पशु एवं मत्स्य संसाधन। 7. उर्जा विभाग।
6.	श्री सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना। मोबाईल नं०–9931285742	श्री अर्जुन प्रताप चन्द्र, उप सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना। मोबाईल नं०–7903932803	1. स्वास्थ्य विभाग। 2. कला संस्कृति एवं युवा विभाग। 3. शिक्षा विभाग। 4. श्रम संसाधन विभाग। 5. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। 6. वाणिज्य–कर विभाग।
7.	श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०), पटना। मोबाईल नं०–9386648184	श्री हीरामुनी प्रभाकर, उप महाप्रबंधक (प्रशासन) मुख्यालय, राज्य खाद्य निगम, पटना। मोबाईल नं०–6204420787	1. निगरानी विभाग। 2. निर्वाचन विभाग। 3. समाज कल्याण विभाग। 4. अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। 5. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

मनोनीत सदस्यों को आवंटत विभागों के विरूद्ध राजस्व पर्षद एवं बिहार लोक सेवा आयोग के राजपत्रित/अराजपत्रित बैठकों में निश्चित रूप से उपस्थित रहना एवं हस्ताक्षर अंकित करना अनिवार्य है। विषयांकित कार्य हेतु लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार विधान परिषद् सचिवालय एवं बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा आयोजित बैठकों में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना हेतु मनोनीत पदाधिकारी भाग लेंगे।

विभागीय सचिव द्वारा आयोजित बैठक की कार्यावली/नियम के साथ वांछित अभिलेख एक सप्ताहांतर्गत निश्चित रूप से संबंधित मनोनीत सदस्यों को परिचारित करा दिया जाय तथा बैठक के लिए सीधे पत्राचार कर उनसे सम्पर्क किया जाय।

सामान्य तौर पर मनोनीत पदाधिकारी का सचिवालय स्थित किसी अन्य विभाग/निदेशालय/आयोग/प्राधिकार में स्थानांतरण/प्रोन्नति हो जाने पर भी यह मनोनयन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

मनोनीत सदस्य आरक्षण अधिनियम–3, 1992 के निहित प्रावधानों तथा अन्य संकल्प/परिपत्रों/आदेशों के अनुपालन में कार्य करेंगे। **साथ ही आवंटित विभागों के अन्तर्गत विभागीय स्तर पर गठित किसी अन्य समिति की बैठक में भी भाग लेने हेतु प्राधिकृत होंगे।**

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 31/12/2021

(जय शंकर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।